न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/226 **दायरा दिनांक : 16.12.2022**

उनवान

1. रणवीर सिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील गंगधार
2. शोभाग सिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील गंगधार
3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील गंगधार
4. गजेन्द्र सिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील गंगधार
5. मुन्ना कुंवर पुत्री किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. सरूप पुत्र भुवान, जाति चमार (मेघवाल), निवासी निसलखेड़ी, तहसील गंगधार
2. रतन पुत्र औंकार, जाति बलाई, निवासी निसलखेड़ी, तहसील गंगधार
3. भैरूलाल पुत्र शंकर, जाति बलाई, निवासी निसलखेड़ी, तहसील गंगधार
4. दशरथ लाल पुत्र शंकर, जाति बलाई, निवासी निसलखेड़ी, तहसील गंगधार
5. कालीबाई नाबालिग पुत्री शंकर वली सरप्रस्थ माता जतनबाई बेवा शंकर, जाति बलाई, निवासी निसलखेड़ी, तहसील गंगधार
6. ममताबाई नाबालिग पुत्री शंकर वली सरप्रस्थ माता जतनबाई बेवा शंकर, जाति बलाई, निवासी निसलखेड़ी, तहसील गंगधार
7. जतनबाई बेवा शंकर, जाति बलाई, निवासी निसलखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से।
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 14.08.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 9/दावा/2016 निर्णय दिनांक 10.05.2016 व डिक्री दिनांक 12.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश किया और

(ममता कुमारी तिवारी) 2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह कथन किया कि ग्राम अरनिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ की जमाबंदी संवत 2067–2070 के खाता नम्बर 90 में दर्ज है। खसरा नं. 677 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा स्थित है तथा जमाबंदी संवत 2067–2070 के खाता नम्बर 162 के खसरा नं. 674 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नं. 675 रकबा 3 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 10.05.2016 व डिक्री दिनांक 12.05.2016 से लोक अदालत में वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलांट्स (वादीगण) ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम अरनिया, तहसील गंगधार की आराजी खसरा नं. 677 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 674 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 675 रकबा 3 बिस्वा का घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती बाबत दावा पेश किया था, जिसमें अपीलांट्स (वादीगण) का प्रतिवादी (रेस्पोडेंटगण) से उक्त आराजीयात को अपीलांट्स (वादीगण) के खाते घोषित कराने, स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती के बाबत राजीनामा हुआ था, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय को आराजीयात को अपीलांट्स (वादीगण) के खाते घोषित करने एवं इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश भी करने चाहिए थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा तक ही दावा आंशिक डिक्री किया तथा दिनांक 12.05.2016 को डिक्री जारी की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री में संशोधन किया जाकर घोषणा खातेदारी अधिकार एवं इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश फरमाये जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स (वादीगण) ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम अरनिया, तहसील गंगधार की विवादित आराजी का घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती बाबत दावा पेश किया था, जिसमें अपीलांट्स (वादीगण) का प्रतिवादी (रेस्पोडेंटगण) से उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत राजीनामा नहीं

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे के विपरीत निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । अतः हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में सलंग्न राजीनामा पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। हमारी राय में लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो। इसके अभाव में सीपीसी की पालना में प्रत्येक तनकी का साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। सभी पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं होने से सभी पक्षकार राजीनामा से बाध्य नहीं है। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय .त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2016 व डिक्री दिनांक 12.05.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को जवाब का अवसर देकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 14/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा